

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा निवासी तल्लीहाट, जिला चम्पावत द्वारा मोटर स्टेशन, चम्पावत स्थित सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को दिनांक 29.12.2023 को श्रीमती जानकी सेलिया पत्नी श्री हीराबल्लभ सेलिया निवासी भैरवां, चम्पावत से पंजीकृत बैनामे के आधार पर क्रय किये जाने के उपरान्त पालिका कर अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सूचना दी जाती है कि यदि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को पालिका कर निर्धारण सूची में श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० अशोक कुमार वर्मा का नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में मय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा नगर पालिका अभिलेखों के आधार श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा के प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

विवरण सम्पत्ति:-

पैमाइशी 68.75 वर्गमीटर, मोटर स्टेशन, चम्पावत।

भूमि की चौहदी:- पूरब में - भुवन चन्द्र पाण्डे की गली/मकान, पश्चिम में - पुनेठा जी का मकान, उत्तर में - साह लोगो की भूमि दक्षिण में - मुख्य मोटर मार्ग।

पालिका अभिलेखों में दर्ज क्रमांक - 225

**अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।**

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।

पत्रांक: 634/कर अनु०/नामान्तरण सूचना/2025-26 दिनांक 28.01.2026

प्रतिलिपि-

1. मा० अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।
2. श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा निवासी तल्लीहाट, चम्पावत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तानुसार सूचना स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार पत्र में प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्रीमती जानकी सेलिया पत्नी श्री हीराबल्लभ सेलिया निवासी भैरवां, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत संपत्ति के नामान्तरण पर यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व अपनी आपत्ति मय साक्ष्य कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. श्री लक्ष्मी लाल वर्मा एवं मुकेश वर्मा पुत्रगण श्री ईश्वरी लाल वर्मा निवासी तल्लीहाट चम्पावत, तहसील व जिला चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत संपत्ति के नामान्तरण पर यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व अपनी आपत्ति मय साक्ष्य लिखित रूप में कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. श्री प्रकाश गिरी, कर संग्रहकर्ता, नगर पालिका परिषद्, चम्पावत को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार नोटिस संबंधित भवन में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
6. नगर पालिका परिषद्, चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा/पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. तहसील कार्यालय, चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

**अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।**

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा निवासी तल्लीहाट, जिला चम्पावत द्वारा मोटर स्टेशन, चम्पावत स्थित सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे दिया गया है, को दिनांक 29.12.2023 को श्रीमती जानकी सेलिया पत्नी श्री हीराबल्लभ सेलिया निवासी भैरवां, चम्पावत से पंजीकृत बैनामे के आधार पर क्रय किये जाने के उपरान्त पालिका कर अभिलेखों में नाम दर्ज किये जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः सूचना दी जाती है कि यदि किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को पालिका कर निर्धारण सूची में श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० अशोक कुमार वर्मा का नाम दर्ज किये जाने पर कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति इस सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में मय साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा नगर पालिका अभिलेखों के आधार श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा के प्रार्थना पत्र पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा।

विवरण सम्पत्ति:-

पैमाइशी 68.75 वर्गमीटर, मोटर स्टेशन, चम्पावत।

भूमि की चौहदी:- पूरब में - भुवन चन्द्र पाण्डे की गली/मकान, पश्चिम में - पुनेठा जी का मकान, उत्तर में - साह लोगो की भूमि दक्षिण में - मुख्य मोटर मार्ग।

पालिका अभिलेखों में दर्ज क्रमांक - 225

अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।

पत्रांक: 634/कर अनु०/नामान्तरण सूचना/2025-26 दिनांक 28.01.2026

प्रतिलिपि-

1. मा० अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।
2. श्रीमती दया वर्मा पत्नी स्व० श्री अशोक वर्मा निवासी तल्लीहाट, चम्पावत को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित की उपरोक्तानुसार सूचना स्वयं के व्यय पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त समाचार पत्र में प्रकाशित कर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. श्रीमती जानकी सेलिया पत्नी श्री हीराबल्लभ सेलिया निवासी भैरवां, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत संपत्ति के नामान्तरण पर यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व अपनी आपत्ति मय साक्ष्य कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. श्री लक्ष्मी लाल वर्मा एवं मुकेश वर्मा पुत्रगण श्री ईश्वरी लाल वर्मा निवासी तल्लीहाट चम्पावत, तहसील व जिला चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत संपत्ति के नामान्तरण पर यदि कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन की एक माह की अवधि व्यतीत हो जाने से पूर्व अपनी आपत्ति मय साक्ष्य लिखित रूप में कार्यालय नगर पालिका परिषद्, चम्पावत में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
5. श्री प्रकाश गिरी, कर संग्रहकर्ता, नगर पालिका परिषद्, चम्पावत को इस निर्देश के साथ प्रेषित की उक्तानुसार नोटिस संबंधित भवन में चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
6. नगर पालिका परिषद्, चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा/पोर्टल पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. तहसील कार्यालय, चम्पावत के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

अधिशायी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्, चम्पावत।